संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 26, 1977

जी.एस.आर. 9 :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 4-क के साथ पठित धारा 11 की उप धारा (2) के खण्ड (चच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु एराज्य सरकार एतदद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

राजस्थान विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 है।

(2) ये 14 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हु एसमझे जायेंगे।

2. पेंशन के लिए आवेदन-पत्र :-उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी हेतु आवेदन-पत्र प्रारूप-1 में राजस्थान विधान सभा के सचिव को दिया जायेगा, परन्तु :-

(i) पेंशन प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के पागल होने की दशा में आवेदन पत्र, भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन पागल की सम्पदा का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा।

(ii) उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त आवेदन-पत्र उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने पेंशन के बकाया की बाबत भारतीय उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र या महाप्रशासक अधिनियम, 1963 के अधीन प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त कर लिया हो।

3. आवेदन-पत्र की संवीक्षा और पेंशन भुगतान आदेश जारी करना :- (1) इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर सचिव, राजस्थान विधान सभा, ऐसे सत्यापन के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन का दावा करने वाले व्यक्ति को पेंशन मंजूर करने के लिए उसकी पात्रता या अपात्रता अवधारित करेगा।

(2) यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बाबत पेंशन का दावा किया गया है, पेंशन की मंजूरी के लिए पात्र पाया जाये तो सचिव, राजस्थान विधान सभा, प्रारूप संख्या-2 में आवेदक के पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा।

3-क अदेयता प्रमाण पत्र :- (1) नियम 2 के अधीन पेंशन की मंजूरी के आवेदन-पत्र के साथ राजस्थान विधान सभा के सचिव से प्राप्य एक अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित अदेयता प्रमाण-पत्र जारी होने तक, सचिव राजस्थान विधान सभा पेंशन के 75 प्रतिशत से अनधिक रकम अन्तिम रूप से मंजूर कर सकेगा :

परन्तु किसी सदस्य के विरुद्ध बकाया सरकारी देयता उसकी पेंशन से वसूली योग्य होगी किन्तु ऐसी वसूली की रकम पेंशन के 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी।

4. पेंशन के भुगतान की रीति :-पेंशन का प्रथम भुगतान और प्रति वर्ष मई और नवम्बर महीनों के लिए उत्तरवर्ती भुगतान (अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति की बाबत) प्रारूप सं.-3 में एक घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा।

(2) पेंशन भुगतान आदेश तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा और प्रथम प्रति आवेदक को दी जायेगी तथा द्वितीय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सरकारी क्षेत्र के बैंक की शाखा को या उस कोषाधिकारी को, जिससे आवेदक ने अपनी पेंशन लेना चाहा है, भेजी जायेगी। उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए रखी जायेगी।

(3) (i) उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया है, उसे इन नियमों के अधीन पेंशन का भुगतान उसके विकल्प पर या तो राज्य में किसी खजाने पर या सरकारी क्षेत्र के बैंक के मार्फत किया जायेगा। इन नियमों के अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंक की मार्फत पेंशन का भुगतान, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मार्फत पेंशन के भुगतान के लिए राज्य के पेंशन पाने वालों को लागू स्कीम के अनुसार, जब कभी ऐसी स्कीम आरम्भ की जाय, किया जायेगा।

(ii) जबकि पेंशन का भुगतान राज्य में किसी खजाने पर चाहा जाय तो प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा पेंशन भुगतान आदेश का खजाने वाला आधा भाग सम्बन्धित कोषाधिकारी को भेजा जायेगा और इस व्यक्ति को पेंशन का भुगतान प्रारूप 4 में दिये गये प्रारूप में पेंशन बिल सहित भुगतान आदेश प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। दी गई पेंशन के संदाय का अभिलेख पेंशन भुगतान आदेश के पृष्ठ भाग पर रखा जायेगा और दिये गये भुगतान के प्रमाणस्वरूप प्रविष्टियां, कोषाधिकारी के अनुप्रमाणन के अधीन पेंशन भुगतान के दोनों द्विभागों पर की जायेगी।

(4) यदि (अधिनियम और नियमों के अधीन) पेंशन का हकदार व्यक्ति किसी पद पर चुना या नियुक्त किया जाता है, या किसी वेतन, पारिश्रमिक या पेंशन का हकदार हो जाता है तो वह इस प्रकार चुने जाने नियुक्त होने या हकदार होने की बाबत, यथास्थिति, सचिव, राजस्थान विधान सभा और पेंशन वितरण करने वाले बैंक को एक माह के भीतर सूचित करेगा।

(5) प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा समस्त पेंशन भुगतान आदेशों का एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें जारी, रद्द संशोधित किये गये पेंशन भुगतान आदेशों की विशिष्टियां अभिलिखित की जायेंगी।

5. पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश जारी करना :-प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा को यह समाधान हो जाने पर कि नियम 3 के अधीन जारी किये गये पेंशन भुगतान आदेश का पुनरीक्षण आवश्यक है, उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुरूप लाने हेतु समय-समय पर, स्वप्रेरणा से या अन्यथा पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश जारी कर सकेगा और पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने पर प्रवर्तन प्रवृत्त पेंशन भुगतान आदेश प्रभावी नहीं रहेगा :

परन्तु सम्बन्धित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस दिए बिना तथा प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा नीयत किये जाने वाले समय के भीतर अपना अभ्यावेदन करने के लिए एक अवसर दिये बिना पेंशन की रकम में कमी नहीं की जायेगी या उसे रद्द नहीं किया जायेगा।

6. मृत्यु हो जाने पर पेंशन बंद होना :- उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पेंशन का भुगतान तुरन्त बन्द हो जायेगा और तत्समय प्रवृत्त पेंशन भुगतान आदेश जिस व्यक्ति के कब्जे में हो उसके द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा को उस व्यक्ति की मृत्यु की घोषणा के साथ लौटा दिया जायेगा, जो उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन का हकदार था।

[संख्या प.7(1) संसद/77]
राज्यपाल के आदेश से,
रणवीर सहाय वर्मा
शासन सचिव।

प्ररूप-1

पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

[देखिये राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4-क]

प्रेषक :-

श्री/श्रीमती/कुमारी...नियम (2) के परन्तुक के अन्तर्गत भूतपूर्व राजस्थान विधान सभा सदस्य/सदस्य लोक-सभा/राज्य सभा/अस्थाई संसद (यहां यह उल्लेख कीजिये कि पिछली बार किस सभा के सदस्य थे)

श्री/श्रीमती/कुमारी...

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर।

विषय :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेंशन मंजूर की जाना।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4-क के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित अवधि में....................................का सदस्य रहने के कारण, पेंशन पाने का हक है :-

(1) राजस्थान विधान सभा का सदस्य.........................से.....................तक

(2) भूतपूर्व अजमेर राज्य की विधान सभा.........................से.................तक

(3) राज्य सभा का सदस्य.....................से.......................तक

(4) लोक सभा का सदस्य......................से.......................तक

2. अनुरोध है कि मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी...को पेंशन मंजूर किये जाने के बारे में कार्यवाही की जाय मैं.................................... अपनी पेंशन पब्लिक सैक्टर बैंक ब्रांच................................कोषागार............से लेना चाहता हूं/चाहती हूं।

3. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद/राजस्थान विधान सभा के वर्तमान सदस्य द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूं :-

(1) तीन नमूना हस्ताक्षर।

(2) पासपोर्ट साइज के तीन नवीनतम फोटो।

4. मेरा वर्तमान पता……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

मेरा स्थायी पता…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि :-

(1) मैं…………………..राष्ट्रपति अथवा उप-राष्ट्रपति के चुने हुए मद अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर कार्य नहीं कर रहा/रही हूं।

(2) मैं……………...राज्य सभा अथवा लोक सभा अथवा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की किसी विधान सभा अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् अथवा दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत गठित दिल्ली महानगर परिषद् का सदस्य/सदस्या नहीं हूं।

(3) मैं……………...केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व के अधीन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हूं अथवा मुझे ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राइज़ से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्य किसी प्रकार का कोई हक नहीं है।

(4) मैं…………………...कोई राजनैतिक/सैनिक/सिविल पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा/रही हूं।

(5) मैं……………………………….के पद पर कार्य कर रहा/रही हूं/ अथवा…………………………..का/की सदस्या हूं।

(6) मुझको………………………………………………………………….से राजनैतिक/सैनिक/सिविल पेंशन के रूप में…………………………...रुपये प्राप्त होते हैं।

(सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिये)

नाम साफ-साफ बड़े अक्षरों में भवदीय

…………………………….

स्थान……………………….. (हस्ताक्षर)

दिनांक………………………

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी…………………………………..

(साफ-साफ बड़े अक्षरों में)

निम्नलिखित अवधि में राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे/रही :-

………………………...से……………………………….तक

………………………...से……………………………….तक

………………………...से……………………………….तक

प्रमुख सचिव,
राजस्थान विधान सभा सचिवालय।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी………………………….(साफ-साफ बड़े अक्षरों में) निम्नलिखित अवधि में लोक सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

………………………...से……………………………….तक

………………………...से……………………………….तक

………………………...से……………………………….तक

………………………...से……………………………….तक

सीनियर टेबल आफिसर,
लोक सभा सचिवालय।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी………………………….(साफ-साफ बड़े अक्षरों में) निम्नलिखित अवधि में लोक सभा के/की सदस्य रहे/रही :-

………………………...से……………………………….तक

………………………...से……………………………….तक

………………………...से……………………………….तक

………………………...से……………………………….तक

सीनियर टेबल आफिसर,
राज्य सभा सचिवालय।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या जयपुर, दिनांक………...20

अगला आदेश होने तक और प्रत्येक महीने की समाप्ति पर श्री/श्रीमती/कुमारी …………………………को नियम (2) के परन्तुक के अन्तर्गत……………….रुपये की धनराशि का भुगतान करें, जो राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 संशोधित, के अधीन पेंशन की राशि है और जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

अधिनियम की धारा 4-क के अधीन देय पेंशन रुपये………………………..

अधिनियम की धारा 4-क(ख) के अधीन प्राप्त हो रही पारिश्रमिक/पेंशन की राशि घटाइये रुपये………………………..

देय पेंशन की शुद्ध राशि रुपये………………………..

दिनांक………………...से भुगतान आरम्भ होना चाहिये तथा तारीख…..…… तक का भुगतान किया जावे।

(हस्ताक्षर)……………………….
पदनाम…………………………..

प्ररूप-2

पेंशन भुगतान आदेश

(राशि वितरणकर्ता के लिए)

राज्य सरकार के विकलनीय :- प्रमुख शीर्ष :-

खाते का शीर्ष :- लघु शीर्ष :-

दत्तमत्त

1. पेंशन पाने वाले का नाम.............................

नियम (2) परन्तुक के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति का नाम...

2. निवास स्थान का पता................................
3. गांव एवं तहसील व जिला सहित.....................
4. पेंशन पाने वाले का पहचान चिन्ह...................

फोटोग्राफ सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भूतपूर्व विधायक

5. पेंशन की श्रेणी-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 संशोधित के अधीन पेंशन
6. मासिक पेंशन की राशि रुपये...(अंकों) में ....रुपये (शब्दों में)।

भूतपूर्व विधायक के हस्ताक्षर

7. प्रारम्भ होने की तारीख.........................से तारीख...........................तक का भुगतान किया जावे।
8. भुगतान का कार्यालय और स्थान..

मोहर

दिनांक.................... प्रमुख सचिव,

स्थान...................... राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

पेंशन की राशि रुपये...(शब्दों में)
राशि वितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक पृथक भुगतान को नीचे रिकार्ड किया जाना है।

महीना जिसके लिए पेंशन देय है	**19**	**19**	**19**	**19**
	भुगतान की तारीख	**राशि वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर**	**भुगतान की तारीख**	**राशि वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर**
मार्च				
अप्रैल				
मई				
जून				
जुलाई				
अगस्त				
सितम्बर				
अक्टूबर				
नवम्बर				
दिसम्बर				
जनवरी				
फरवरी				

दिनांक......................

स्थान.........................

हस्ताक्षर............................

पता...............................

....

....

प्ररूप-3

घोषणा

(नियम-2 के परन्तुक के अन्तर्गत अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपने प्रथम तथा तत्पश्चात् वर्ष में दो दफा अर्थात् मई और नवम्बर के माह में पेंशन बिल के साथ लगाने के लिये)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि :-

मैं………………………………………………………..दिनांक 14.12.1976 या………………………………….(द्वितीय या पश्चातवर्ती घोषणाओं की दशाओं में यहां अन्तिम घोषणा की तारीख लिखें) से……………..रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक/वेतन पर……………………..से………………..तक……………………के रूप में निर्वाचित/नाम निर्दिष्ट/नियुक्त हुआ/हुई हूं।

2. मैं……………………………………………………..राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के पद पर अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हूं, अथवा

3. मैं………………………………………………...राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली महानगर परिषद् का/की सदस्य/सदस्या नहीं हूं, अथवा

4. मैं………………………………………...केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हूं। अथवा मैं…………………………...ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से पारिश्रमिक पाने का/की अन्यथा रूप से हकदार नहीं हूं, अथवा

5. मैं………………………………...केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम से कोई पेंशन प्राप्त नहीं करता/करती हूं।

अथवा

(i) मैं…………………………………………………………………….के पद पर कार्य कर रहा/रही हूं अथवा……………………………….का सदस्य हूं अथवा………मैं ……………………………………………….के रूप में नियुक्त हूं और मुझे……….रुपये प्रति माह कुल पारिश्रमिक मिलता है।

(ii) मैं……………………………………………………………………… स्थान……………………………………...से पेंशन के रूप में……………...रुपये प्राप्त करता हूं/करती हूं।

………………………..
हस्ताक्षर

पता……………………..

दिनांक……………………..

…………………………

…………………………

प्ररूप-4

राजस्थान सरकार

पेंशन बिल

....रुपये प्रति माह से अनधिक

पारिवारिक

पेंशन भुगतान आदेश संख्या.........................दिनांक..........................

ज्ञापन :- निवेदन है कि इस प्ररूप का उपयोग अगला बिल प्रेषित करने के लिये किया जाय।

जिला	**लेखा-मद**	**वर्ष 20..................माह................के लिये भुगतानों की सूची की वाउचर संख्या.............**

माह......................20 की मुझे देय पेंशन प्राप्त हुई।

रकम..............................रुपये..

आयकर कटौती..............................रुपये

शुद्ध रकम............................रुपये

रुपये (शब्दों में)..

स्थान......................

तारीख.......................

पेंशन भोगी का पद या पता	पेंशन भोगी को मैं पहचानता हूं पेंशन भोगी	भुगतान वसूल पाया टिकट

हस्ताक्षर

स्वयं उपस्थित न होने के लिये दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र (सिवाय इसके कि जहां किसी निगम या आदेश के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र आवश्यक न हों)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी को देखा है कि वह आज दिन तक जीवित है और यह कि उसने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

नाम......................................

तारीख.....................................   पदनाम.................................

पेंशन भोगी द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला पृष्ठांकन

कृपया...को भुगतान करें।

हस्ताक्षर

पेंशन भोगी

कोषागार के उपयोग हेतु

....बैंक/कोषागार।

(शब्दों में)...रुपये का भुगतान करें।

....लेखे में निर्गमित किया गया।

लेखाकार

तारीख................................कोषाधिकारी या उप कोषाधिकारी

प्राप्तकर्त्ता की रसीद

भुगतान प्राप्त किया।

संदेशवाहक या अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर
मैंने पहचाना है।
हस्ताक्षर..............................
पदनाम या पता.........................
....
....

बैंक/कोषागार के लिये

..........................रुपये (शब्दों में).....................का भुगतान किया गया।

बैंक/कोषपाल

राजस्थान विधान सभा कार्यालय के उपयोग हेतु

....रुपये स्वीकार किये गये।

................................रुपये पर आक्षेप किया गया।

संपरीक्षक अधीक्षक सचिव

[संख्या प.7(1) संसद/77]

आदेश से,

रणवीर सहाय वर्मा

शासन सचिव।